UPJS100001192002

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) / ए०सी०जे०एम० , गरौठा , जनपद- झाँसी ।

पीठासीन अधिकारी- मयंक प्रकाश (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

J. O. Code - UP2293

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अभियोजन अधिकारी ..... अभियोजक ।

बनाम

1- हरनारायण पाठक पुत्र नाथूराम पाठक । (मृतक)

2. श्रीमती रामकिशोरी पत्नी हरनारायण।

3. राजेश पुत्र हरनारायण।

4. सरिता पुत्री हरनारायण पाठक

निवासीगण- ग्राम बम्होरी , थाना- लहचूरा , जनपद- झाँसी। ..... विपक्षीगण।

अपराध सं०- 357/ 2001

धारा- 498- ए , 323, 504, 506 भा०दं०सं०

व 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम।

थाना- गरौठा , जिला- झाँसी।

शिकायतकर्ता का नाम- श्री बृजबिहारी पटैरिया पुत्र हीरालाल पटैरिया (दौरान वाद मृतक) , निवासी- ग्राम सैदनगर , थाना- कोटरा , जिला- जालौन।

अभियुक्तगण का विवरण- 1- हरनारायण पाठक पुत्र नाथूराम पाठक (मृतक) , 2. श्रीमती रामकिशोरी पत्नी हरनारायण, 3. राजेश पुत्र हरनारायण एवं 4. सरिता पुत्री हरनारायण पाठक , निवासीगण- बम्होरी, थाना- लहचूरा , जनपद- झाँसी।

Digitally signed by MAYANK PRAKASH
Date: 2026.07.10 16:43:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा- 156(3) द०प्र०सं० न्यायालय में प्रस्तुत करने का दिनांक	19. 12. 2001
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा- 156(3) द०प्र०सं० पर न्यायालय द्वारा संबंधित थाने को विवेचना करने हेतु आदेशित करने का दिनांक	19. 12. 2001
प्राथमिकी/ एन०सी०आर० का दिनांक	27. 12. 2001
विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या को न्यायालय द्वारा अस्वीकार करने का दिनांक	12. 06. 2002
अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा तलब करने का दिनांक	12. 06. 2002
आरोप / बयान मुल्जिम विरचित किये जाने का दिनांक	06. 03. 2026
धारा - 313 दं०प्र०सं० का दिनांक	04. 07. 2026
निर्णय दिनांक	10. 07. 2026

मौखिक साक्ष्य:-

अभियोजन साक्षीगण		
पी०डब्लू०- 1	नीलम	पीड़िता

अभियोजन प्रलेखीय साक्ष्य मय प्रदर्श:-

क्रम संख्या	**प्रपत्र**	**प्रदर्श**	**द्वारा सिद्ध किया गया**
1.	प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा- 156(3) द०प्र०सं०	प्रदर्श क- 1	पी०डब्लू०- 1

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक वाद सं०- 1388/ 2002, मु०अ०सं०- 357/ 2001, थाना- गरौठा ,जिला झाँसी में विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या को न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक- 12. 06. 2002 को अस्वीकार करते

हुए अभियुक्तगण हरनारायण पाठक ,श्रीमती रामकिशोरी ,राजेश एवं सरिता को धारा- 498- ए ,323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में जरिए सम्मन आहूत किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा बृजबिहारी पटैरिया की पुत्री नीलम उर्फ रानी की शादी दिनांक- 05. 02. 98 ई० को अभियुक्त हरनारायण पाठक के पुत्र बृजेश कुमार पाठक के साथ दोनों पक्षों की सहमति से ग्राम सैदनगर होकर मुताबिक हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। वादी मुकदमा ने अपनी पुत्री की शादी में उसे एक लाख रूपया नगद ,सोफा सेट,मिक्सी ,डबल बैड ,अलमारी ,दो अंगूठी सोने की एक तोला ,चूड़ी सोने की तीन तोला भर ,एक तोला सोने की जंजीर ,आठ आना भर सोने के टॉक्स ,बारा आना भर सोने की झुमकी ,कपड़े ,बर्तन आदि सामान दहेज में दिया। वादी मुकदमा द्वारा दिये गये दहेज से उसकी पुत्री के ससुरालीजन अभियुक्तगण हरनारायण पाठक ससुर ,श्रीमती रामकिशोरी सास ,राजेश देवर व कु० सरिता ननद खुश नहीं हुए तथा वादी मुकदमा की पुत्री को अपने पिता से एक मोटर साईकिल एवं सोने की जंजीर तथा नगद रूपया लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे लेकिन वादी मुकदमा अभियुक्तगण की मांग पूरी नहीं कर सका तब अभियुक्तगण ने उसकी पुत्री नीलम उर्फ रानी को उसका सारा जेवरात ,रूपया ,कपड़ा तथा सभी स्त्रीधन छीनकर घर से बाहर निकाल दिया तब वादी मुकदमा की पुत्री ,वादी मुकदमा के घर ग्राम सैदनगर पहुंची तथा वादी मुकदमा को सारा किस्सा सुनाया। उस समय वादी मुकदमा की पुत्री गर्भवती थी। तब वादी मुकदमा ने अपनी पुत्री को अपने घर पर रखा और उसकी डिलेवरी उरई जिला जालौन में नर्सिंग होम में करवायी तथा पूरा खर्चा स्वयं किया। वादी मुकदमा की पुत्री का पति बृजेश कुमार बेरोजगार है तथा अपने माता पिता व परिवार वालों पर आश्रित है इसलिए अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री को प्रताड़ित किये जाने के बावजूद भी वह अपने घर वालों से कुछ नहीं कह पाता है। माह जून सन् 2001 में वादी मुकदमा के समझाने पर किसी तरह उसकी पुत्री का पति बृजेश कुमार उसकी पुत्री को उसके घर से आश्वासन देकर कि हम लोग कभी भी तुम्हारी पुत्री को परेशान नहीं करेंगे ,लिवा लाया था तथा वर्तमान में उसकी पुत्री अपनी ससुराल में मु० सुभाषनगर कस्बा व थाना गरौठा में रह रही है। इसके बाद अभियुक्तगण ने पुनः वादी मुकदमा की पुत्री को सोने की जंजीर तथा मोटर साईकिल की मांग को लेकर उसकी पुत्री की मारपीट करना तथा उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जब वादी मुकदमा को इस बात की जानकारी हुई तो वादी मुकदमा दिनांक- 16. 12. 2001 को गरौठा अपनी पुत्री की ससुराल आया तो अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के सामने ही उसकी पुत्री नीलम उर्फ रानी को बुरी तरह मारा पीटा और कहा कि हम लोग नीलम उर्फ रानी को तब तक इसी तरह प्रताड़ित करते रहेंगे जब तक तू हम लोगों की मांग पूरी नहीं कर देता है। वादी मुकदमा ने बचाने की कोशिश की तो अभियुक्तगण ने कहा कि साले . . . (विशिष्ट गाली का प्रयोग) तू यहाँ से भाग जा नहीं तो तुझे जान

से मरवा देंगे तथा तेरी पुत्री को भी जला कर मार डालेंगे। उक्त घटना को वादी मुकदमा के अलावा लखनलाल पाठक दुरखुरू व पवन कुमार गरौठा व अन्य लोगों ने भी देखा व सुना।

3. वादी मुकदमा बृजबिहारी पटैरिया द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा- 156(3) द०प्र०सं० प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक- 19. 12. 2001 को थानाध्यक्ष गरौठा को प्रस्तुत प्रकरण को दर्ज करते हुए विवेचना कर आख्या न्यायालय में प्रेषित करने हेतु आदेशित किया। थाना गरौठा में मु०अ०सं०- 357/ 2001, दिनांक- 27. 12. 2001 को समय - 13:00 बजे पंजीकृत हुई।

4. न्यायालय के आदेशानुसार विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना क्रम के अन्तर्गत वादी मुकदमा तथा गवाहान का बयान अंकित किया गया। आवश्यक विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा अंतिम आख्या न्यायालय प्रेषित की गयी। उपरोक्त अंतिम आख्या को न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक- 12. 06. 2002 को अस्वीकार कर अभियुक्तगण हरनारायण पाठक , श्रीमती रामकिशोरी , राजेश व सरिता को धारा- 498 ए , 323, 504, 506 भा०द०सं० व 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आहूत किया गया।

5. अभियुक्तगण को धारा - 207 दं०प्र०सं० के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी।

6. अभियुक्तगण श्रीमती रामकिशोरी , राजेश व सरिता के विरूद्ध धारा- 498 ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक- 06. 03. 2026 को आरोप विरचित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की। अभियुक्त हरनारायण पाठक की दौरान मुकदमा मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी।

7. अभियोजन की ओर से साक्षी के रूप में पी०डब्लू०- 1- नीलम को परीक्षित कराया गया है। पी०डब्ल्यू०- 1 नीलम द्वारा कथन किया गया कि उसके पिता बृजबिहारी पटैरिया (वादी मुकदमा) की मृत्यु पाँच साल पहले हो चुकी है। साक्षी लखनलाल की मृत्यु हो जाने के कारण उसे साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं कराया जा सका। तदोपरांत अभियोजन का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

8. अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्ति के पश्चात अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा - 313 दं०प्र०सं० दिनांक- 04. 07. 2026 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक के बावत कथन किया कि नहीं की। अभियुक्तगण द्वारा पी०डब्ल्यू०- 1 के बयान के बावत कथन किया गया कि झूंठे बयान दिये हैं। अभियुक्तगण द्वारा मुकदमा रंजिशन चलाये जाने का कथन किया गया एवं सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया।

9. मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

10. अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने में सफल रहा अथवा नहीं ?

निष्कर्ष

11. अभियुक्तगण पर आरोप है कि अभियुक्तगण ने दिनांक ,समय व स्थान अदम तहरीर में वादी मुकदमा की पुत्री नीलम उर्फ रानी को दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया एवं दिनांक- 16. 12. 2001 को स्थान- कस्बा गरौठा ,थाना- गरौठा ,जिला- झाँसी में वादी मुकदमा की पुत्री के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की , वादी मुकदमा को गाली- गलौज कर अपमानित किया , वादी मुकदमा व उसकी पुत्री को जान से मारने की धमकी दी एवं वादी मुकदमा व उसकी पुत्री से अतिरिक्त दहेज के रूप में मोटर साईकिल ,सोने की जंजीर व नगद रूपया की मांग की।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०- 1- नीलम** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथपूर्वक बयान किया गया कि दिनांक- 05. 02. 1998 को मेरा विवाह बृजेश कुमार पाठक पुत्र हरनारायन पाठक निवासी- नेपान ,गरौठा के साथ मेरा विवाह हिन्दू रीति- रिवाज से संपन्न हुआ था। विवाह उपरान्त मेरे पति बृजेश पाठक व उनके परिवारीजन मुझे परेशान करते थे इसीलिए मैं अपने मायके चली गयी थी। यह मुकदमा मेरे पिताजी बृजबिहारी पटैरिया ने न्यायालय में दरखास्त देकर लिखवाया था। मेरे पिताजी की मृत्यु आज से लगभग 5 वर्ष पहले हो चुकी है। पत्रावली में संलग्न कागज सं०- 9 ए/ 4 को देखकर गवाह ने बताया कि इस टाईपशुदा प्रार्थना पत्र पर मेरे पिताजी बृजबिहारी के हस्ताक्षर हैं। मैं अपने पिताजी के हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूँ। कागज सं०- 9 ए लगायत 9 ए/ 4 प्रदर्श क- 1 डाला गया। मेरे देवर ,सास- ससुर ,ननद भी मुझे परेशान करते थे। दहेज की मांग करते थे।

13. साक्षी पी०डब्लू०- 1- नीलम से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह किया गया। दौरान जिरह इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि मेरे पिताजी द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी थी। धारा- 156(3) द०प्र०सं० के तहत वाद प्रस्तुत किया था। उसी आधार पर मुकदमा लिखा गया था। मेरे द्वारा कोई भी एफ०आई०आर० दर्ज नहीं करायी थी और जो एफ०आर० लगी थी उसमें मेरे द्वारा कोई आपत्ति नहीं की। मैं अपनी ससुराल में अपने पति के साथ सुखी से रह रही थी। मेरे पति ,सास- सुसर ,देवर ,नंद द्वारा कोई दहेज की मांग की थी। ना ही मोटर साईकिल मांगी थी , ना पैसा मांगा था , ना ही मुझे किसी भी अभियुक्त द्वारा प्रताड़ित किया गया था। मैं अपने पति के साथ सही तरीके से

रह रही हूँ। दरोगा जी ने मेरे कोई बयान नहीं लिये थे। मेरा अभियुक्तगणों से समझौता हो गया है। मैं अपने पति के साथ अच्छे से रह रही हूँ। यह कहना गलत है कि मैं अपने ससुरालजन व पति के दवाब में झूंठे बयान दे रही हूँ। अब मुझे अन्य कोई गवाह पेश नहीं करना है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा अभियुक्तगणों को फंसाया गया है। यह बात सही है कि मुकदमा मेरे पिता द्वारा झूंठा लिखाया गया था।

14. उपरोक्त साक्ष्य के परिशीलन से विदित होता है कि साक्षी ने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया है कि विवाह उपरान्त मेरे पति बृजेश पाठक व उनके परिवारीजन मुझे परेशान करते थे इसीलिए मैं अपने मायके चली गयी थी। यह मुकदमा मेरे पिताजी बृजबिहारी पटैरिया ने न्यायालय में दरखास्त देकर लिखवाया था। मेरे देवर ,सास- ससुर ,ननद भी मुझे परेशान करते थे। दहेज की मांग करते थे। **अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह में इस साक्षी ने कथन किया कि** मेरे द्वारा कोई भी एफ०आई०आर० दर्ज नहीं करायी थी और जो एफ०आर० लगी थी उसमें मेरे द्वारा कोई आपत्ति नहीं की। मैं अपनी ससुराल में अपने पति के साथ सुखी से रह रही थी। मेरे पति ,सास- सुसर ,देवर ,नंद द्वारा कोई दहेज की मांग की थी। ना ही मोटर साईकिल मांगी थी , ना पैसा मांगा था , ना ही मुझे किसी भी अभियुक्त द्वारा प्रताड़ित किया गया था। मैं अपने पति के साथ सही तरीके से रह रही हूँ। मेरा अभियुक्तगणों से समझौता हो गया है। इस प्रकार इस साक्षी के मुख्य परीक्षा व जिरह में किये कथनों में घोर विरोधाभाष है। इस साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं हो रही है एवं इस साक्षी के कथनों से अभियोजन कथानक को कोई बल नहीं मिलता है।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था राजस्थान राज्य बनाम शीशपाल ए. आई. आर. 2016 पेज 4958 एवं खेखराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2018 (1) जे. आई. सी. पेज 207 एस. सी. में अभिनिर्धारित किया है कि आपराधिक विधि शास्त्र का ये मूलभूत सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला अभियुक्तगण को दोषसिद्ध ठहराने के लिये सभी तर्क संगतपूर्ण संदेह से परे साबित करना होगा। अपने मामले को सभी तर्कपूर्ण संदेह से परे साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पर होता है और ये भार कभी भी नहीं बदलता।

16. अभियुक्तगण की ओर से धारा - 437 ए दं०प्र०सं० के अन्तर्गत जमानतनामें एवं बन्ध पत्र प्रस्तुत किये गये, जिन्हें न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है।

17. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अभियुक्तगण श्रीमती रामकिशोरी ,राजेश व सरिता के विरूद्ध धारा- 498 ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है तथा अभियुक्तगण श्रीमती

रामकिशोरी ,राजेश व सरिता को लगाये गये आरोपों अन्तर्गत धारा - 498 ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **श्रीमती रामकिशोरी ,राजेश** एवं **सरिता** को मु०अ०सं०- 357/ 2001, अंतर्गत थाना- गरौठा , जिला झाँसी के मामले में धारा- 498 ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/ 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम अन्तर्गत लगाये गये आरोपों से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं प्रतिभू निरस्त किये जाते हैं। जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण के द्वारा धारा- 437 ए दं०प्र०सं० के अन्तर्गत बन्ध- पत्र अग्रिम छः माह तक इस शर्त के साथ प्रभावी रहेंगे कि यदि अपीलीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण की उपस्थिति अपेक्षित की जाती है तो अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। छः माह व्यतीत होने के बाद अभियुक्तगण द्वारा निष्पादित बन्ध- पत्र व जमानतदार अपने दायित्वों से स्वतः उन्मोचित हो जायेंगे।

दिनांक- 10. 07. 2026 **(मयंक प्रकाश)**

सिविल जज (सी०डि०) / ए. सी. जे. एम.

गरौठा ,जिला- झाँसी।

JO Code- UP2293

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित करके उद्घेषित किया गया।

दिनांक- 10. 07. 2026 **(मयंक प्रकाश)**

सिविल जज (सी०डि०) / ए. सी. जे. एम.

गरौठा ,जिला- झाँसी।

JO Code- UP2293